न्यायालय, मुंसिफ, बनमनखी (पूर्णियाँ)

T.Ex 01/2018

12.03.2024 डिक्रीदार (आवेदिका) की ओर से हाजरी दी गई।

वाद पुकार पर डिक्रीदार के विद्वान अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित हुए, तथा डिक्रीदार अपने आवेदन दिनांक–22.02.2024 आदेश–22 नियम–3 के प्रतिस्थापन आवेदन को संचालित करते हुए कथन करते है कि डिक्रीदार लक्ष्मण मंडल की मृत्यु दिनांक–27.11.2023 को हो गई है। लक्ष्मण मंडल अपने मृत्यु के पश्चात् केवल पत्नी मसोमात उमा देवी को छोड़ गये। अतः इनके उक्त वारीशान को पक्षकार बनाया जाना अतिआवश्यक है। अतः डिक्रीदार की ओर से दिनांक–22.02.2024 को दाखिल प्रतिस्थापन आवेदन स्वीकृत करने की कृपा की जाय। वही वाद में अबतक किसी निर्णयऋणी की उपस्थिति नहीं हो पाई है।

सुना। अभिलेख का अवलोकन किया। अवलोकन से पाया जाता है कि प्रस्तुत वाद में डिक्रीदार लक्ष्मण मंडल की मृत्यु दिनांक–27.11.2023 को हो गई है। अतः इनके प्रस्तावित वारीशान को पक्षकार बनाया जाना अतिआवश्यक है। अतः मृतक के वारीशान को पक्षकार बनाया जाना न्यायहित में आवश्यक प्रतीत होता है। अतः ऐसी परिस्थिति में डिक्रीदार के दिनांक–22.02.2024 के आवेदन को तद्नुसार **स्वीकृत** किया जाता है।

डिक्रीदार (आवेदिका) विहित समय के अन्दर मृतक डिक्रीदार के वारीशान के नाम को वाद–पत्र में अंकित करें।

वाद दिनांक–28.03.2024 वास्ते अग्रिम कार्यवाही हेतु।

Sd/-

मुंसिफ

बनमनखी।